

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 2(4) लेखा/प्रमुवसं/2018-19/ 3324-444

दिनांक : 19.8.20

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यआयोजना वन बन्दोबस्त / प्रशिक्षण / उत्पादन, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / एनटीएफपी / राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर / भरतपुर / कोटा / उदयपुर / अजमेर / बीकानेर / जयपुर / विभागीय कार्य, जयपुर / निदेशक परियोजना कोटा / बनास परियोजना, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर / कोटा / उदयपुर / बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर / बाघ परियोजना सरिस्का (अलवर) / जयपुर।
5. वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, कार्यालय प्रमुवसं (HoFF), राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त उप वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

विषय : नाकारा वाहनों/अनुपयोगी सामानों की नीलामी से प्राप्त राशि की सूचना निम्न प्रारूप में माह की 5 तारीख तक भिजवाने बाबत।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्रांक एफ 2(4) लेखा/प्रमुवसं/2018-19/3222-277 दिनांक 13.08.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II 16 से 27 में निर्धारित प्रक्रिया एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-III के भाग-I के आइटम 11 में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अध्यक्षीन तथा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(1)वित्त/साविलेनि /2005 पार्ट-I जयपुर दिनांक 20.07.2020 के क्रम में नाकारा वाहन/अनुपयोगी सामानों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के उपरान्त आपके कार्यालय द्वारा नाकारा वाहनों की नीलामी/अनुपायोगी सामानों की नीलामी से प्राप्त राशि की सूचना प्रत्येक माह की अगले माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी को निम्न निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिससे विभागीय संकलित सूचना को इस कार्यालय द्वारा प्रति माह निदेशक निरीक्षण विभाग/वित्त विभाग को भिजवाया जा सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

प्रपत्र-A नाकारा सामान

क्र.स.	सामान का नाम/प्रकार	क्रय वर्ष	सामान की उपयोग अवधि	बुक वेल्यू	निरीक्षण कमेटी/नाकारा कमेटी/नीलामी कमेटी के गठन का विवरण	संभावित राजस्व	नीलामी करने की संभावित तिथि	नाकारा करने का कारण	माह में नीलामी से प्राप्त राशि का विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र-B नाकारा वाहन

क्र.स.	वाहन का प्रकार	प्रचालन कि.मी./घण्टे	निरीक्षण कमेटी/नाकारा कमेटी/नीलामी कमेटी के गठन का विवरण	क्रय वर्ष	वाहन द्वारा पूर्ण किये गये वर्ष	बुक वेल्यू	नीलामी करने का संभावित समय	संभावित राजस्व	नाकारा करने का कारण	माह में नीलामी से प्राप्त राशि का विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(जी. विश्वनाथ रेड्डी)
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 (हॉफ)
 राजस्थान, जयपुर